

Sl No. 278

भारत की सार्वजनिक सेवा

सं. ए-43020/01/2014-आर सी आई

भारत सरकार

वृहत् सचिवालय

दिनांक, दिनांक: 06/02/2014

कार्यालय, भारत

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना प्रदान करने का आवेदन।
श्री राजेश कुमार

अधिकांश सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना प्रदान करने के संबंध में श्री राजेश कुमार दिनांक 01/01/2014 के आवेदन (उत्तर-संख्या-...

श्री मन्मथ कुमार, जयपुर से अंतरण द्वारा दिनांक 17/01/2014 को प्राप्त का. आई. आई. प्रमाण को अंग्रेजित करने का निर्देश हुआ है, क्योंकि नामों में सूचना उक्त प्रमाण के विचारकों से संबंधित है कि एक रूप से संबंध रखती है। यह अनुरोध किया जाता है कि यदि विषय-वस्तु का संबंध किसी अन्य केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी/लोक प्राधिकारी से है, तो आवेदक को सूचित करते हुए आवेदन को सीधे उस प्राधिकारी को अंग्रेजित/अंतरित कर दिया जाये।

2. आवेदक ने 10/- रु. का निर्धारित शुल्क दिनांक...../...../2013 को रसीद सं.....के तहत जमा कर दिया है (सिलबन)/ नहीं किया है क्योंकि वह बी पी एल श्रेणी से संबंध रखता/रखती है।

श्री राजेश कुमार

(रस. समेत)

अवर सचिव, भारत सरकार

Handwritten notes and signatures on the left side of the page, including 'Dir (ISI)', 'नोट किया गया', and '14/2/14'.

निदेशांक (आई. आई. आई.)

ज. ए. ए. नं. 14/2/14

कार्यालय, नई दिल्ली

RTI-278/Dir (ISI)/14
14/2/14

प्रति सूचनार्थ प्रेषित:

श्री/श्रीमती श्री राजेश कुमार

S/O श्री मन्मथ कुमार

श्री मन्मथ कुमार, जयपुर

व्याहारे, जयपुर (किम्बल)

(उत्तर अनुरोध है कि इस मामले में अतिरिक्त सूचना प्राप्त करने के लिए उपर्युक्त केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी/लोक प्राधिकारी से संपर्क करें।)

सूचना

सेवा में

केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी,
गृह मंत्रालय, भारत सरकार,
नाथ ब्लाक, नई दिल्ली, - 61

विषय - सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(1) के तहत चाही गई सूचना प्राप्त न होने बान्।

द्वारा - श्रीमान् जेल उपअधीक्षक, डेन्ट्रीय कारागृह, जयपुर (राज्य)

1- यह कि आवेदक ने दिनांक 1-10-13 के आवेदन पत्र क्रमांक 9809/2-10-13 द्वारा जो सूचना आपसे कार्यालय से मांगी थी, उसके दूर में आवेदन पत्र के प्रश्न संख्या-2 के संबंध में जनसंचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी विभाग, इलेक्ट्रानिक्स निडेटन, 6 सीजीओ कामप्लेक्स, नई दिल्ली-3 का पत्र दिनांक 20.12.13 पत्रांक क्रमांक नं. 14(205)/2013-ESD प्राप्त हुआ है।

2- यह कि इस पत्र में यह अंकित है कि - "The memorandum referred in Query-2 is issued by Ministry of Home Affairs. The copy may be obtained from M.H.A."

3- यह कि आवेदक की चाही गई सूचना गृह मंत्रालय-भारत सरकार से सम्बद्ध है। अतः शीघ्रताशीघ्र उल्लिखित सूचना उपलब्ध कराई जाये।

आवेदक का नाम व पता -

श. प्रकाश

शाहबाज अहमद S/O श्री मुभतज अहमद

केन्द्रीय कारागृह, जयपुर

डेन्ट्रीय कारागृह-जयपुर - (राज्य)

दिनांक - 1-1-2014

(शाहबाज अहमद)

संलग्नक - आवेदन पत्र की प्रति



राजस्थान सरकार
Government of Rajasthan



कार्यालय अधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह, जयपुर (राज०)
Office of the Superintendent, Central Jail, Jaipur (Raj.)

क्रमांक: कारा. प्रशा. / विविध / 1 / 13 / 14

दिनांक: 25-12-2014

श्रीमान केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी,
गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नार्थ ब्लॉक,
नई दिल्ली, -01


18/1/2014
03:02:14

विषय:- बंदी का प्रार्थना-पत्र अग्रेषित करने कावत।

महोदय,

इस कारागृह के निजराधीन बंदी शाहवाज अहमद पुत्र मुमताज अहमद ने श्रीमान को संबोधित करते हुए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो मूल ही इस पत्र के संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार



मुहवीय,

उप अधीक्षक
केन्द्रीय कारागृह, जयपुर

TI

आवृत्त पत्र का प्राप्ति

श्रीमान्

शुभाकर जयसिंग अहमद,
सू. मंत्रालय, भारत सरकार,
नया बलास, नई दिल्ली - 6


पूजा - श्रीमान् जेठ अफिद्वय, केन्द्रीय कारागृह जयपुर, राज
विभाग - अन्वयता एवं अधिकाय अधिसूचना - 2013 की धारा -
2(1) के तहत सित्त सत्यना आस इति वाक्य ;

1 - पारिवृटि रिवाडि एक्ट - 1923 से धारा - 4
की नीचे अतिरिक्त ।

2 - सगु अन्वय से सख मंत्रालय द्वारा " मंत्रालयों /
विभागों को भेजे गये सम्बन्धित की अतपत्रितित
जिसमें उन्हें इस वाक्य निर्दिष्ट किया गय था
कि मंत्रालयों / विभागों को अपने वेबसाइट परके
विदेशी सर्वर जो भारत में स्थित न हो, पर
होस्ट नहीं करना चाहिये।" साथ ही यह भी
निर्दिष्ट किया गय था कि मंत्रालयों / विभागों
को यह भी निर्दिष्ट किया जाता है कि वह अपने
ईमेल / वेबसाइट केकड N/C या ERNET या
कोई अन्य सर्वर जो भारत सरकार से सम्बद्ध
हो या राज्य सरकार से सम्बद्ध हो, पर ही
होस्ट करना चाहिये। "

उक्त सत्यना आण्डे विभाग से संबंधित न हो
ते उचित विभाग को सघानंतरित करे ।

प्रिण्ड - कसदराज अहमद
पुत्र श्री सुमतज अहमद
केन्द्रीय कारागृह, - जयपुर
धारागोद, जयपुर - राज


(कसदराज अहमद)

पोस्टल अडिर अमांड - 19F 566981
दिनांक - 1-10-2013

Reply of Sl No. 277 & 278

RTI Matter
By Speed Post

No. II.20034/35/2014-IS.II/M
Government of India
Ministry of Home Affairs
(IS.I Division/IS.II Desk)

North Block, New Delhi,
Dated: 26 Feb, 2014

To

Shri Sahbaz Ahmed,
S/o Shri Mumtaz Ahmed,
Central Jail, Jaipur, Ghatgate, Jaipur.

Subject: Application of Sahbaz Ahmed seeking information under Right to Information Act, 2005.

Sir,

Please refer to your letter dated 01.01.2014 and 11.01.2014 received in the office of undersigned on 14.02.2014 on the above subject.

2. It is intimated that reply to RTI application has already been provided vide this office OM of even number dated 03.01.2014, however, annexure to the RTI reply was left out inadvertently. RTI reply along with the annexure is enclosed with the letter.

3. The inconvenience is regretted.

4. Hindi version will follow.


(Rakesh Mittal)

Director (Internal Security-I) & CPIO
TELE : 23092132

Copy to

1. Dy Superintendent, Central Jail, Jaipur (Rajasthan).

PA to DIR (I-I)